

परियोजना का नाम:— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु लम्बाई 4.325कि०मी० ।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग का निर्माण। मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य में जो वन भूमि प्रस्तावित की गयी है उसके अन्तर्गत कोई भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

अतः उक्त परियोजना के निर्माण में कोई वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन नहीं किया गया है।


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग


प्रभागीय वन्याधिकारी
बन्नीनाथ वन प्रभाग, गेपेश्वरा


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, खण्ड
लो०नि०वि० कार्णप्रयाग